(52) (56)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1543–दो/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–06–2007 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 112/2005–06/निग0

....

महिला कमलीबाई पत्नी शिवजीनाथ,
जाति नाथ, निवासी ग्राम हलगांवण बुजुर्ग
तहसील व जिला श्योपुर (म0प्र0)

.... आवेदिका

विरूद्ध

शिवजी पुत्र गोपीनाथ जाति नाथ,
निवासी ग्राम पच्चीपुरा, तहसील व जिला
श्योपुर (म0प्र0)

................अनावेदक

....

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश बेलापुकर, अभिभाषक, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/4/2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–06–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसील श्योपुर के ग्राम टोड़ी में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 294/2 रकबा 15 बीघा 18 बिस्बा एवं सर्वे क्रमांक 296 रकबा 7 बीघा 9 बिस्बा कुल किता 2 कुल रकबा 23 बीघा 07 विस्बा जिसके अभिलिखित भूमि स्वामी आवेदिका तथा अनावेदक है । अनावेदक शिवजी द्वारा विचारण न्यायालय में एक आवेदन पर संहिता की धारा 178 का पेश किया गया और बंटवारा किये जाने का अनुरोध किया । विचारण

न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09—08—1999 से बंटवारा आदेश पारित किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09—08—99 से दुःखी होकर आवेदिका कमलीबाई द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के न्यायालय में दिनांक 27—10—99 को अपील पेश की । अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 5/99—2000/अपील पर दर्ज की जाकर पारित आदेश दिनांक 05—03—01 से प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य होना मानकर निरस्त कर दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05—03—2001 से दुखी होकर निगरानी कलेक्टर, जिला श्योपुर के न्यायालय में पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 64/2001—02/निगरानी पर दर्ज की जाकर पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 03—08—2004 से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विवादित भूमि पर 1/4 भाग पर आवेदिका कमली के नाम नामान्तरण किया जाकर भूमि सौंपने के आदेश दिये गये । कलेक्टर श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03—08—2004 से दुःखी होकर अनावेदक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, जिला मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को सही माना है एवं कलेक्टर श्योपुर के आदेश को यह मानते हुए खारिज किया है कि कलेक्टर को निगरानी सुनने का अधिकार नहीं होता, अतः उक्त निगरानी अपास्त की जाती है । अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के आदेश को स्थिर रखते हुए अपर आयुक्त चम्बल द्वारा आदेश दिनांक 27—06—2007 पारित किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 27—06—2007 से परिवेदित होकर आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से निगरानी मेमों में उल्लेखित तर्कों में यह प्रस्तुत किया कि अभिलेख से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि कुल जमीन का 1/4 भाग आवेदिका का है और 3/4 भाग अनावेदक का है, इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा मात्र एक बीघा 9 विस्वा भूमि दी गई जबकि 5 बीघा 10 विस्वा भूमि आवेदिका को मिलना चाहिये थी । इन सब परिस्थितियों के साथ राजस्व अभिलेख रिकार्ड पर उपलब्ध होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है । निगरानी मेमों में यह भी बताया कि आवेदिका ग्रामीण इलाके की बिना पढ़ी—लिखी महिला है और उसके किसी अभिभाषक द्वारा अपील करने के स्थान पर निगरानी कर दी गई जोकि यह भूल अभिभाषक द्वारा की गई है

जिसके लिये पक्षकार को नुकसान उठाना पड़े ऐसी कानून की मंशा नहीं है । प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार न्यायालय को टेक्नीकल्टीज पर नहीं जाना चाहिये वास्तविक न्याय को देखना चाहिये और उसके अनुसार अपना निर्णय पारित करना चाहिये । ऐसा न करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत आदेश पारित किया है । जबकि वास्तविक रूप में आवेदिका को तहसीलदार द्वारा जारी सम्मन प्राप्त ही नहीं हुआ था तो ऐसी परिस्थिति में अनुविभगीय अधिकारी को विधिवत जांच उपरांत आदेश देना था और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 03–08–2004 के द्वारा निरस्त करने में कोई कानूनी भूल नहीं की थी, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने में भूल की है । अंत में आवेदिका के अभिभाषक द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–8–2004 स्थिर रखा जाकर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है ।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह आधार प्रस्तुत किया है कि आवेदिका एवं अनावेदक पूर्व में पति पत्नी थे । नाथ सम्प्रदाय की परम्परा के अनुसार पति पत्नी के साथ रहने पर पत्नी को पति की भूमि में उसके जीवन काल में अपने भविष्य की सुरक्षा हेतु पति से भूमि प्राप्त करने की पात्रता थी । इस कारण अनावेदक द्वारा क्रय की भूमि पर आवेदिका का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित किया गया । आवेदिका ने पत्नी धर्म का पालन न करते हुए लगभग 20 वर्ष पूर्व अनावेदक को छोड़कर अन्यत्र विवाह कर अपने दूसरे पति एवं बच्चों के साथ रह रही है अतः उसे भूमि प्राप्त करने का कोई अधिकार शेष नहीं रह गया है । अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने पर तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही की, चूँकि राजस्व अभिलेखों में आवेदिका का नाम अंकित था, को भी सूचना पत्र भेजा गया तथा उसके द्वारा प्रकरण में उपस्थित न होने पर विधिवत कार्यवाही करते हुए प्रकरण में आदि साक्ष्य के आधार पर आवेदिका जिसका नाम चूँकि राजस्व अभिलेख में अंकित था, को भूमि देते हुए अनावेदक को उसके स्वत्व के आधार अनुसार भूमि प्रदान करते हुए बंटवारा किया गया, जिसकी जानकारी आवेदिका को आरम्भ से ही थी । तहसील न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा बदनियत पूर्वक अनावेदक को परेशान करने के उदेश्य से कार्यवाही की गई थी जो समयाबधित होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त की

गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा कलेक्टर के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 03–08–2004 द्वारा स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश जो कि समय सीमा के प्रश्न पर था जो निरस्त करते हुए एवं तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए आवेदिका को 1/4 भूमि देने तथा उसका आधिपत्य देने का आदेश दिया गया । कलेक्टर के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त समक्ष निगरानी में चुनौती दी गई । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण के अभिलेख को देखने तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एवं राजस्व मण्डल द्वारा पारित न्याय दृष्टांतों के आधार पर आदेश को निरस्त किया गया जो कि पूर्णतः विधि सम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । इस न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु मात्र यह है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा समयावधि के बिन्दु पर आवेदिका की अपील को निरस्त किया गया था तब ऐसे अंतिम आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रचलन योग्य था अथवा नहीं । इस सम्बंध में भू–राजस्व संहिता की धारा 50 की उपधारा (1) के परन्तु क (1)(ए) के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त धारा के अनुसार इस संहिता के अधीन अपीलनीय किसी आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण गृहण नहीं किया जायेगा । कलेक्टर को ऐसे अपील योग्य आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण श्रवण करने का विचाराधिकार ही नहीं था अनावेदक द्वारा इस सम्बंध में उनके समक्ष स्पष्ट आपत्ति की प्रस्तुत की गई थी जिन पर विचार न करते हुये मनमाने ढंग से आदेश पारित किया गया जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त ने अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग किया है । जब आदेश अपील योग्य हो तो ऐसे आदेश को निरस्त करने में स्व प्रेरणा की शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 2002 रे0नि0180 नंदलाल विरूद्ध शासन में राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा विधि की सुस्थापना की गई है । इस कारण से भी कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग किया है । जब अपील योग्य आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण पोषणीय नहीं तब कलेक्टर के विचाराधिकार रहित आदेश को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की है । अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत विधि एवं न्याय सिद्धान्तों पर विस्तृत विवेचना करने के पश्चात आदेश पारित किया गया है जो उचित होकर स्थिर रखे जाने योग्य है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 2003 आर0एन0 422, 2003

आर0एन0 34 उच्च न्यायालय, 1984 आर0एन0 408, 1979 आर0एन0 219 एवं राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा प्रकरण निगरानी प्रकरण क्रमांक 541–एक / 2009 जगमोहन विरूद्ध भागवती में पारित आदेश दिनांक 20–01–2014 जो लिखित बहस के साथ प्रस्तुत किया गया है, का अवलोकन भी किया गया । उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है । अंत अनावेदक के अभिभाषक द्वारा आवेदिका के पुनरीक्षण आवेदन पत्र का निरस्त किया जाकर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का निवेदन किया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया । प्रकरण में अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने आवेदिका को सुने बिना आदेश पारित किया है इसके बाद भी अनुविभागीय अधिकारी ने उसकी प्रथम अपील मात्र समयसीमा के बिन्दु पर अग्राह्य कर दी । अपर आयुक्त ने कलेक्टर का आदेश मात्र तकनीकी आधार पर निरस्त कर दिया । अपर आयुक्त को चाहिये था कि यदि कलेक्टर को सुनवाई की पात्रता नहीं थी तो वह द्वितीय अपीलीय न्यायालय की तरह प्रकरण का निराकरण करते । अपर आयुक्त ने बिना साक्ष्यों की विवेचना के अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को विधिसंगत ठहरा दिया । प्रकरण में भू–अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि में आवेदिका 1/4 हिस्से की अभिलिखित भूमिस्वामी है । लेकिन इस महत्वपूर्ण तथ्य को तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त तीनों न्यायालयों ने अनदेखा किया । विचारण न्यायालय ने आवेदिका को इससे कम हिस्सा देकर वैधानिक त्रुटि की है। इस विवेचना के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त तीनों न्यायालयों के आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण तहसीलदार को उभयपक्ष को साक्ष्य का अवसर देकर बंटवारा नियमों का पालन कर पुनः बंटवारा करने के आदेश करने को प्रत्याविर्तत (remand) किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर